महिलाओं के लिए बड़ा पैकेज लाएंगे, 3 करोड़ किसानों के नुकसान की भरपाई करेंगे : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उज्ज्वला योजना की 1.89 करोड़ महिला लाभार्थियों को दिवाली का तोहफा दिया। लोकभवन में मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर के लिए 1500 करोड़ की सब्सिडी बांटी।

सीएम योगी ने महिलाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा, बारिश, बाढ़ और सूखा से किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन सरकार तीन करोड़ किसान परिवारों के लिए जल्द ही एक अलग विशेष



उज्ज्वला के लाभार्थियों को 1,500 करोड़ की सब्सिडी बांटी

आर्थिक पैकेज लेकर आएगी। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए भी सरकार एक बड़ा पैकेज ला रही है। ब्यूरो

सिलिंडर के 650 रुपये बच गए, उनसे मिठाई खाइएगा

सीएम योगी ने कहा, हमने वादा किया था कि हम बहनों को मुफ्त सिलिंडर देंगे। दीपावली पर आपके 648.55 रुपये का भुगतान राज्य सरकार ने सीधे गैस कंपनियों को कर दिया है। बाजार में एक रसोई गैस सिलिंडर की कीमत लगभग 983.45 रुपये है। इसमें से मोदी सरकार 335.40 रुपए की सब्सिडी पहले ही देती है। अब आपसे गैस एजेंसी पर एक रुपया नहीं लिया जाएगा, जो पैसे बच गए हैं उनसे मिठाई खाइएगा।

प्रियंका ने उप्र के नेताओं के साथ चुनाव तैयारियों पर चर्चा की

समितियों के गठन व रणनीति पर हुआ मंथन

सपा और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव, गठबंधन का फैसला भी एकराय से

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रमुख पार्टी नेताओं के साथ मंगलवार को बैठक की। चुनाव से जुड़ी विभिन्न समितियों के गठन, प्रदेश कार्यकारिणी और चुनाव अभियान को गति देने के



मुद्दों पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राजीव रंजन गौतम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और अन्य अन्य नेता मौजूद थे। बैठक के बाद गौतम ने बताया कि उन्होंने और अन्य नेताओं ने प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव और विभिन्न समितियों के गठन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा, हमने प्रदेश कार्यकारिणी के गठन और पूरे चुनाव अभियान को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार-विमर्श किया। प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है और कुछ नामों को अंतिम रूप दिया गया है। आधिकारिक पुष्टि होने के बाद इसकी घोषणा की जाएगी।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि यह पहली बैठक थी, जिसमें चुनाव के लिए गठित की जाने वाली विभिन्न समितियों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा, बैठक में चुनाव के लिए जरूरी विभिन्न समितियों के गठन पर चर्चा की गई। इसमें चुनाव अभियान समिति, घोषणा पत्र समिति और ऐसी कई अन्य समितियों शामिल हैं, जिनका गठन आमतौर पर चुनाव से पहले किया जाता है। गौतम ने कहा कि इंडिया

निष्क्रिय जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा

कर रही है। दीपावली के बाद निष्क्रिय जिला अध्यक्षों को हटाने और सक्रिय कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर करीब 80 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कुछ कैटेगरी में बांटकर गहन विश्लेषण गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी और दोनों दल चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन में छोटे दलों को शामिल करने के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा के नेता आपस में चर्चा करेंगे। इसके बाद उपयुक्त दलों को गठबंधन में शामिल किया जाएगा।

न्यूज डायरी

विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव

वाराणसी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा कि वह यूपी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं होंगे। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि वह सीधे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मंगलवार को वाराणसी पहुंचे अखिलेश ने कहा, हम मुख्यमंत्री तब बनते हैं, जब चुनाव नहीं लड़ते। इसलिए वही काम करेंगे, जो हमारे लिए शुभ होगा। ब्यूरो



लालू प्रसाद ने राजग सरकारों पर लगाया 'वोट चोरी' का आरोप

पटना। ए। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकारों पर 'वोट चोरी' करने का आरोप लगाया और कहा कि पूरा विपक्ष इसके खिलाफ एकजुट है। लालू प्रसाद का यह बयान कथित वोट चोरी और चुनावी अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की रैली के दो दिन बाद आया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को नई दिल्ली में लालू प्रसाद से उनकी बेटी मीसा भारती के आवास मुलाकात की थी।

चुनाव हारने पर विपक्ष ईवीएम को ठहराता है जिम्मेदार : नड्डा

बरेली। ए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि वह लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाता है और चुनाव हारने के बाद अपनी हार का ठीकरा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर फोड़ता है। नड्डा लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा में शामिल होने के लिए मंगलवार को बरेली में थे। उन्होंने कहा, विपक्ष का एकमात्र काम भ्रम फैलाना है। वह लगातार निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाता है और चुनाव हारने के बाद अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ता है।

एसआईआर से पहले 56 चुनाव हारी कांग्रेस : स्मृति ईरानी

कोलकाता। ए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस ने मौजूदा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले 2014 से 2025 के बीच 56 चुनावों में हार का सामना किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों में इन हार की वजह कांग्रेस नेतृत्व की अपनी विफलताएं थीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए 'इंडिया' गठबंधन पर आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।

हार में 'क्राइम' हो सकता है, लेकिन 'अपराध' नहीं : सम्राट चौधरी

नई **दिल्ली। ए।** बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि राज्य में अपराध खत्म हो गया है, हालांकि कुछ 'क्राइम' हो सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने चुटकी ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में चौधरी ने कहा, 'हमारे यहां कोई अपराध नहीं है। अपराध की अवधारणा ही खत्म हो चुकी है। क्राइम हो सकते हैं, लेकिन अपराध नहीं, कोई अपराधी नहीं है।'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-विरोध का अधिकार सबको, पर समय और अवधि तय हो

प्रदर्शन के नाम पर किसी स्थान पर बेमियादी कब्जा नहीं कर सकते

संवाद न्यूज एजेंसी। नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कोई भी समूह किसी सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करके नहीं रह सकता। हर किसी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन इसके लिए समय और अवधि निर्धारित होनी चाहिए। अदालत ने सवाल उठाया कि यदि कोई समूह लंबे समय तक एक जगह पर प्रदर्शन करता रहेगा, तो किसान, पत्रकार और दूसरे लोग विरोध के लिए कहां जाएंगे? प्रदर्शन के कारण दिहाड़ी मजदूरों, माल ढोने वालों और छोटे कारोबारियों की आजीविका प्रभावित होने पर भी पीठ ने चिंता जताई। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई कर रही थी। इनमें कथित हिरासत, पुलिस कार्रवाई, मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट सेवा बाधित करने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। इसी दौरान व्यापारिक संगठनों ने रामलीला मैदान में जारी प्रदर्शन से कारोबार प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए याचिका





व्यापारियों की याचिका पर सरकार और अन्य पक्षों से जवाब-तलब

प्रदर्शन की अनुमति देने या खारिज करने के स्पष्ट कारण बताने होंगे

मजदूरों की आजीविका का क्या होगा

प्रदर्शन और कारोबार करने का अधिकार दोनों महत्वपूर्ण हैं। सिर्फ दुकानदार ही नहीं, दिहाड़ी मजदूरों की रोजी-रोटी भी प्रभावित होती है। ऐसे लोग अपनी रोज की कमाई के लिए कहां जाएं। -जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई

प्रदर्शन कराने वाले संगठनों को बनाओ पक्षकार : पीठ

शीर्ष कोर्ट ने व्यापारिक संगठनों से कहा कि वे अपनी याचिका में उन संगठनों को भी पक्षकार बनाएं, जिन्होंने प्रदर्शन आयोजित किए थे। पीठ ने कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना व्यापारियों और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों के बीच विवाद का समाधान तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने प्रदर्शन से हुए नुकसान का आकलन रिकॉर्ड पर रखने को कहा। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

दायर की। पीठ ने कहा, प्रदर्शन की अनुमति देने या खारिज करने के आदेश में संबंधित अफसरों को कारण साफ-साफ बताने होंगे। किसी एक समूह को प्रदर्शन की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोका जा सकता है।

2,000 करोड़ का नुकसान दो माह धरने पर लगे रोक

व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि रामलीला मैदान में प्रदर्शन के चलते सेंट्रल दिल्ली और कनॉट प्लेस के आसपास दो हजार करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हुआ। अगले दो महीने तक किसी भी धरने या प्रदर्शन की अनुमति न मिले।

■ दिल्ली किराना कमेटी व दिल्ली आयरन एंड हार्डवेयर मर्चेंट्स एसो. ने भी याचिका दायर की है। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन स्थल के आसपास 50 लाख लोग रहते हैं। दुकानें बंद हैं। ग्राहकों की आवाजाही प्रभावित हुई है। रोजाना 250 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है।

निगरानी किस कानून के तहत, केंद्र जवाब दे

सीसीटीवी व फेस रिकग्निशन का मुद्दा भी उठा। सॉलिसीटर फ्रीडम लॉ सेंटर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों पर किस तरह की निगरानी की जा रही है। कौन-सा कानूनी प्रावधान है।



बार्सिलोना में आयोजित स्मार्ट सिटी वर्ल्ड एक्सपो में आज मंगलवार को इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी मौजूद थे।

'हाउडी मोदी' की तर्ज पर स्पेन में 'होला मोदी' का तोखन से आग्रह

कैटेलोनिया में प्रवासी भारतीयों से मिले तोखन साहू, भारत-स्पेन मैत्री को नई ऊंचाई देने पर जोर

बार्सिलोना। एजेंसियां। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने स्पेन के कैटेलोनिया क्षेत्र में निवासरत भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रवासी भारतीयों को भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण सेतु बताते हुए कहा कि प्रवासी भारतीय भारत की वैश्विक पहचान के सशक्त प्रतिनिधि हैं। वे अपनी प्रतिभा, परिश्रम, उद्यमशीलता और भारतीय संस्कृति के माध्यम से विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग को मजबूत कर रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पेन यात्रा का आग्रह करते हुए अमेरिका में आयोजित 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की तर्ज पर स्पेन में भी 'होला मोदी' कार्यक्रम आयोजित करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन स्पेन में निवासरत भारतीय प्रवासी समुदाय स्वयं करना चाहता है।

कैटेलोनिया क्षेत्र में लगभग 35 हजार भारतीय मूल के लोग निवासरत हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु सहित भारत के विभिन्न राज्यों के लोग शामिल हैं। भारतीय समुदाय के अनेक सदस्य आधुनिक तकनीक, व्यवसाय और विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों में सक्रिय हैं। दुर्गा पूजा, दीपावली, गणेशोत्सव और ओणम जैसे पर्वों के आयोजन के माध्यम से उन्होंने विदेश की धरती पर भी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखा है।

मीडिया ट्रायल पर अभिषेक बनर्जी को 'सुप्रीम' राहत



शीर्ष कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट को याचिका पर विचार करने का निर्देश

नई दिल्ली। ए। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा कि वह उनके खिलाफ जारी जांच और मामलों से जुड़े 'मीडिया ट्रायल' के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करे। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि बनर्जी उच्च न्यायालय के फिर से खुलने पर इस मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

जांच से जुड़ी जानकारी लीक करने का क्या है आरोप?

लोकसभा सदस्य ने उच्च न्यायालय से ऐसे आदेश का अनुरोध किया है जो जांच एजेंसियों को उनकी निजी जानकारी मीडिया संस्थानों के साथ साझा करने से रोके। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच अधिकारी द्वारा चुनिंदा जानकारी लीक किए जाने से उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे उनके खिलाफ जारी जांच पर भी असर पड़ सकता है। कई मामलों में जांच का सामना कर रहे बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां तलाशी, पूछताछ और अन्य कानूनी कदमों की जानकारी मीडिया के एक हिस्से को लीक कर रही हैं, और इस वजह से अलग-अलग अखबारों में कई खबरें छपी हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर इस तरह जानकारी लीक किया जाना, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके सम्मान, प्रतिष्ठा और निष्पक्ष जांच के अधिकारों का उल्लंघन करती है।

1984 सिख दंगे: भाजपा आज चंडीगढ़ में सम्मेलन करेगी

नई दिल्ली। ए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 1984 के सिख विरोधी दंगों पर बुधवार को चंडीगढ़ में एक दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित करेगी। इसमें दंगों के पीड़ित, प्रत्यक्षदर्शी, कानूनी विशेषज्ञ और जरनैल शामिल होंगे। सम्मेलन में नरसंहार की परिस्थितियों, कथित साजिश, कानूनी लड़ाई और पीड़ितों के पुनर्वास पर चर्चा की जाएगी। भाजपा ने कहा कि 'जख्म 84 दे' नाम से आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य लोगों को 1984 के सिख नरसंहार की ''भयावह सच्चाई'' से रूबरू कराना है। यह कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को कांग्रेस की रैली के कुछ दिन बाद आयोजित किया जा रहा है। भाजपा ने इस रैली को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की थी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने का आरोप लगाया था। भाजपा ने रैली करने के कांग्रेस के नैतिक अधिकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी ने 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़की हिंसा के लिए अब तक जवाबदेही नहीं ली है।

पंजाब नैशनल बैंक
आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, रायपुर (छ.ग.)

ई-नीलामी तिथि - 26.11.26 एवं 03.12.26
समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की बिक्री
APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्ननिर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों के ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत जारी की जा रही है।
इस सूचना के द्वारा उधारकर्ताओं, जमानतदाताओं तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक / सांकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों की बिक्रय "जहां है जैसा है" जो भी है जैसा भी है" नीचे दिये कॉलमों में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उधारकर्ताओं तथा जमानतदारों से वसूली के लिए बिक्री जा रही है। आरक्षित मूल्य तथा अमानत राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समक्ष दर्शाई गई है।

सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची

क्र.	ख्यातायत्क का नाम / उपाधकर्ता / जमानतदार का नाम व पता / शाखा का नाम	बंधक धन/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम	1) 13(2) के तहत डिमांड नोटिस की तिथि 2) बकाया राशि 3) कब्जा तिथि सरफेसी रुल्स 2002 के नियम 13(4) के तहत 4) कब्जा की प्रकृति	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (लाख में)
1	**उधारकर्ता- श्री खुशाल भाई वस** पिता स्व. जेठा भाई वस, **श्रीमती प्रमिला बेन वस** पति श्री खुशाल भाई वस, **चेतन कुमार वस** पिता श्री खुशाल भाई वस **शाखा- अनुपम नगर (296600), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पवन कश्यप, 9770780508**	आवासीय फ्लैट नंबर 21, छठी मंजिल, खसरा नंबर 1122/6, 1123/3 (भाग), ग्राम नं.10146, डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड नंबर 27, गोल्डन पार्क, शंकर नगर, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग) - 492014, बेसकव्हर - 716 वर्ग फीट) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक : श्री खुशाल भाई वास एवं श्रीमती प्रमिला बेन वास। भौगोलिक निर्देशांक : 21.15470, 81.40340. ***नोट: संख्या क्रमांक 1 एवं 2 की दोनों संपत्ति संयुक्त रूप से साथ में बेची जाएगी।**	1) **17-10-2025** 2) **रु 26,75,231.14 +** ब्याज एवं खर्चे प्रभावी 3) **07.01.26** को सांकेतिक कब्जा	**रु 23.92 लाख** **रु 2.39 लाख**
2	**उधारकर्ता- श्री खुशाल भाई वस** पिता स्वर्गीय जेठा भाई वस, **श्री जतिन कुमार वस** पिता श्री खुशाल भाई वस, **श्री तापस वस** पिता श्री खुशाल भाई वस, **चेतन कुमार वस** पिता श्री खुशाल भाई वस. **शाखा- अनुपम नगर (296600), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री पवन कश्यप, 9770780508**	आवासीय फ्लैट नंबर 22, छठी मंजिल, खसरा नंबर 1122/6, 1123/3 (भाग), प.ह नंबर 110/46, डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड नंबर 27, गोल्डन पार्क, शंकर नगर, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग) - 492014, बेसकव्हर - 1000 वर्ग फीट) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक : श्री खुशाल भाई वास एवं श्रीमती प्रमिला बेन वास। भौगोलिक निर्देशांक : 21.15470, 81.40340. ***नोट: संख्या क्रमांक 1 एवं 2 की दोनों संपत्ति संयुक्त रूप से साथ में बेची जाएगी।**	1) **17-10-2025** 2) **रु 29,04,377.22 +** ब्याज एवं खर्चे प्रभावी 3) **07.01.26** को सांकेतिक कब्जा	**रु 24.48 लाख** **रु 2.44 लाख**
3	**उधारकर्ता- चौधरी बरदाना, श्री शुभम चौधरी** पिता श्री रामबाबू चौधरी, **शाखा- रेडक्रास रोड, रायपुर-106600, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती दुर्गावती कुमारी, 7632986606**	खसरा न 219/2, प.ह न 101, मौजा- उरला बीरगांव, शुरुआतीपाल वार्ड न 20, आरक्षण खसरीपा-1, तहसील - जिला- रायपुर एवं जिला - रायगढ़ीपाल (छ.ग) अर्धपुष्टि0.114 हेक्टेयर पर स्थित अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, मालिक- श्री शुभम चौधरी, सीमाए- उत्तर: ईंधर की भूमि, दक्षिण: रामाधार की भूमि, पूर्व: पप्पू की भूमि, पश्चिम: रोवेल लाइन, भौगोलिक निर्देशांक:21.318694,81.606488 ***नोट: एस.ए. क्रमांक 1111/2023 संपत्ति के संबंध में लंबित है।**	1) **12-05-2021** 2) **रु 1,90,81,900.00 +** दिनांक 31-03-2021 से ब्याज प्रभावी 3) **20.12.18** को भौतिक कब्जा 3) **01-11-21** को सांकेतिक कब्जा	**रु 52.15 लाख** **रु 5.21 लाख**
4	**साई बाबा एग्रो एवं साई बाबा मसाला उद्योग श्री श्रीधर वाधवानी** पिता श्री सुगनचंद वाधवानी **(साई बाबा एग्रो के प्रोपराइटर एवं साई बाबा मसाला उद्योग के जमानतदार), श्रीमती कंचन वाधवानी** पति श्री श्रीधर वाधवानी, साई बाबा मसाला उद्योग के प्रोपराइटर), **शाखा - राजनांदगांव (70410), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री सार्थक उपाध्याय, 9981790493**	**संपत्ति क्रमांक 1) भूमि एवं फैक्टरी -** खसरा न 728/1(भाग) का क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर एवं खसरा न 729/1 का क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर, प.ह न 19, **ग्राम -कांकेरपरा,** पोस्ट - बोरी, तहसील एवं जिला - राजनांदगांव (छ.ग) 491441 **में कुल क्षेत्रफल- 0.162 हेक्टेयर यानी 1619.33 वर्ग मीटर (17424 वर्गफुट),** मालिकाना हक - श्री श्रीधर वाधवानी पिता श्री सुगनचंद वाधवानी, सीमाएं - उत्तर: श्रीमती राजेश्री की संपत्ति, दक्षिण: सरकारी संपत्ति, पूर्व: सरकारी संपत्ति, पश्चिम: बोरी-कांकेतरा मुख्य सड़क; भौगोलिक निर्देशांक: 21.156525,81.044818 **संपत्ति क्रमांक 2) प्लांट एवं मशीनरी -** मेसर्स साई बाबा एग्रो में प्लांट एवं मशीनरी स्थित **खसरा नं 728/1(भाग) का क्षेत्रफल - 0.033 हेक्टेयर एवं खसरा नं 729/1 का क्षेत्रफल -0.129 हेक्टेयर,** प.ह नं 19, **ग्राम - कांकेरपरा,** पोस्ट- बोरी, तहसील एवं जिला - राजनांदगांव(छ.ग)491441, मालिकाना हक- श्री श्रीचंद वाधवानी पिता श्री सुगनचंद वाधवानी. भौगोलिक निर्देशांक: 21.156525,81.044818. *** जीएसटी लागू. *नोट: दोनों संपत्ति संयुक्त रूप से साथ में बेची जाएगी।**	1) **07.10.2017** 2) **रु 85,75,000.75 +** दिनांक 07.10.2017 से ब्याज प्रभावी 3) **20.12.18** को भौतिक कब्जा	**रु 140.40 लाख** **रु 14.04 लाख**

संख्या क्रमांक 5 से 6 के लिए: ई-नीलामी तिथि- 03/12/2026 एवं समय- सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक

5	**उधारकर्ता- श्रीमती प्रीति जायव** पति श्री नंद कुमार जायव, **सह-उधारकर्ता: श्री नंद कुमार जायव** पिता श्री श्याम राव जायव, **जमानतदार - श्री विजय कुमार सिंह** पिता श्री जगत नारायण सिंह,**शाखा- भिलाई, नहेरी रोड (215800), संपर्क: वसूली अधिकारी: श्री सार्थक उपाध्याय, 9981790493**	**आवासीय फ्लैट** नंबर ए-503, चौथी मंजिल, टावर ए, राजनहाल ग्रीन टाउन, ढाबा हाउसिंग बोर्ड के पास, खसरा न 74/1, 74/2, प. ह. न 13/18, **मौजा- जामुल,** आरएनएम यूनि-2, तहसील एवं जिला- दुर्ग (छ. ग) में **क्षेत्रफल : निर्मित क्षेत्र - 750 वर्गफुट** पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती प्रीति जायव पति श्री नंद कुमार जायव, सीमाएं- उत्तर: आसमान की ओर खुला, दक्षिण: फ्लैट नंबर 504, पूर्व: आसमान की ओर खुला, पश्चिम: फ्लैट नंबर 501. भौगोलिक निर्देशांक: 21.245368,81.371444	1) **04-07-2019** 2) **रु 20,77,025.62 +** दिनांक 30-06-2019 से ब्याज प्रभावी 3) **25-10-19** को सांकेतिक कब्जा	**रु 16.57 लाख** **रु 1.65 लाख**
6	**उधारकर्ता / मेसर्स जीसीसी फूड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक (अ) - श्री योगेश कुमार गोयल, श्री सुरेश कुमार गोयल व सुश्री सचिता गोयल एवं जमानतदारों- श्री रमन गोयल, श्रीमती मोनिका गोयल एवं श्रीमती कौशल्या गोयल, शाखा-मंडारी (रायपुर) - 152520, संपर्क: वसूली अधिकारी: श्रीमती दुर्गावती कुमारी, 7632986606**	**संपत्ति क्रमांक 1) आवासीय फ्लैट -** फ्लैट नंबर सी-08, प्रथम तल, वृन्दावन गार्डन, खसरा न 728/1-2-3, 731/3-4 (भाग), **क्षेत्रफल - 1280 वर्गफुट** पर हैं न 109, मौजा- **दलदल सिवनी,** कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 26, आरएनएम रायपुर, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग), मालिकाना हक- श्री रमन गोयल। सीमाएँ - उत्तर: खुला क्षेत्र, दक्षिण: गलियारा, पूर्व: खुला क्षेत्र, पश्चिम: फ्लैट नंबर सी-07। भौगोलिक निर्देशांक : 21.278604, 81.676943 **संपत्ति क्रमांक 2) आवासीय फ्लैट -** फ्लैट नंबर ई-405, चौथी मंजिल, वृन्दावन गार्डन, खसरा न 728/1-2-3, 731/3-4 (भाग), **क्षेत्रफल - 1257.41 वर्गफुट,** प. ह नं 109, मौजा- **दलदल सिवनी,** कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्रमांक 26, आरएनएम रायपुर, तहसील एवं जिला - रायपुर (छ.ग), मालिकाना हक - मेसर्स जीसीसी फूड इंडस्ट्रीज. सीमाएँ- उत्तर: खुला क्षेत्र, दक्षिण: गलियारा, पूर्व: खुला क्षेत्र, पश्चिम: फ्लैट नंबर सी-07। भौगोलिक निर्देशांक - 21.278604, 81.676943. ***नोट: ए.ए. क्र. 790/23 संपत्ति के संबंध में लंबित है।**	1) **02-02-2023** 2) **रु 4,44,89,975.25 +** दिनांक 31-01-2023 से ब्याज प्रभावी 3) **10-02-26** को भौतिक कब्जा	**रु 31.73 लाख** **रु 3.17 लाख** **रु 31.17 लाख** **रु 3.11 लाख**

अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: श्री रघुवंश नारायण सिंह- 8789388472 -ऐआरएपी, रायपुर, दूरभाष क्र. -0771-2210433/35

नोट:- 1) कृपया अमानत राशि जमा करने से पूर्व प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल सुनिश्चित करें
2) उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों में संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लंबित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा

महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिडों पूर्व-नीलामी" पोर्टल **https://baanknet.com** के माध्यम से ऑनलाइन होगी. 2. इच्छुक बोलीदाता/ऑथराईजड़ी से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com)** पर पंजीकरण करें इससे अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार जब केवाईसी दस्तावेजों की पुष्टि हो जाती है, जिसमें 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता/प्राधिकृतीदारों को **संख्या क्र. 1 से 4 के लिए ई-नीलामी तिथि- 26/11/2026 एवं संख्या क्र. 5 से 6 के लिए ई-नीलामी तिथि- 03/12/2026 से समय सुबह 11.00 बजे से** पोर्टल पोर्टल पर अपने लॉगिन ईमुपी सीरीट में ऑनलाइन मोड में उपयोगर लगके ईएमडी राशि इलेक्ट्रानिक रूपमें ईएमडी / केवाईसी दस्तावेजों को सत्यापन और वीरीट में ईमुपी का इलेक्ट्रानिक नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और शर्तें- बिडी सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:- 1. संपत्तियों को **"जैसा है जहां है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां उल्लेख अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति की बिक्री **संख्या क्र. 1 से 4 के लिए ई-नीलामी तिथि- 26/11/2026 एवं संख्या क्र. 5 से 6 के लिए ई-नीलामी तिथि- 03/12/2026, वेबसाइट https://baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी पोर्टलों के माध्यम से अपोहरलाखरी द्वारा की जाएगी. बिडी के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया **https